



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062025-263783
CG-DL-E-13062025-263783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2518]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2025/ज्येष्ठ 23, 1947

No. 2518]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2025/JYAISTHA 23, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2025

का.आ. 2582(अ).— पोतों के पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का 49) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा नीचे तालिका के कॉलम 1 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को उक्त तालिका के कॉलम 2 में यथानिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र अथवा विशेषज्ञता के क्षेत्र के भीतर पोतों के पुनर्चक्रण नियमावली, 2021 के नियम 4 में निर्धारित कर्तव्यों के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में पदनामित करती है।

तालिका

पदनामित अधिकारी	भौगोलिक क्षेत्र या विशेषज्ञता का क्षेत्र
(1)	(2)
संबंधित राज्यों या संघ शासित प्रदेश का समुद्री बोर्ड; या	संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र

जहां कोई समुद्री बोर्ड आस्तित्व में नहीं है, राज्य या संघ शासित प्रदेश का संबंधित विभाग पोत पुनर्चक्रण मामलों का निष्पादन करता है।

[फा. सं. एसवाई-19014/70/2024-एसबीआर (सीएन: 367620)]

वैकटेसप्ति एस., संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2025

S.O. 2582(E).— In pursuance of the provisions of section 4 of the Recycling of Ships Act, 2019 (49 of 2019), the Central Government hereby designates the authority specified in column (1) of the table below, to be the Competent Authority for performing the duties specified in rule 4 of the Recycling of Ships Rules, 2021, within the geographical area or area of expertise as specified in column (2) of the said table, namely: -

TABLE

Designated authority (1)	Geographical area or area of expertise (2)
The Maritime Board of the respective State or Union territory; or where no Maritime Board exists, the concerned Department of the State or Union territory dealing with ship recycling matters.	The geographical area within the jurisdiction of the respective State or Union territory.

[F. No. SY-19014/70/2024-SBR (CN: 367620)]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.